संशोधन आदेश

संख्या- 70 /2021 / 1802 /चार-2021

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2021**

विषय:- विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर 2020) के अवसर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी द्वारा संरक्षित स्मारक गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी में अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2021 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 39/2021 /1802/चार-2020 दिनांक 09 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 39/2021 /1802/चार-2020 दिनांक 09 मार्च, 2021 के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ का अंकन त्रुटिवश हो गया है। अत: पृष्ठांकन में '' कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी '' पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 39/2021 /1802/चार-2020 दिनांक 09 मार्च, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 70 /2021/ 1802 /(1)/चार-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in